# फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भगवानलाल　　　　बनाम　　　　विपक्षी : श्री हरिराम व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम　　　　पत्रावली संख्या : 60/25

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण |
|---|---|

दिनांक : 17.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण विपक्षी संख्या 1, 6, 11, 13, 18, 22, 23, 24, 25 द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश कर पत्थरगढी किये जाने पर अपनी सहमती जताई। जवाब शामिल फाईल रहें। विपक्षी संख्या 2 से 5, 7 से 10, 12, 14, से 17, 19 से 21, 26, से 29 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 2 से 5, 7 से 10, 12, 14, से 17, 19 से 21, 26, से 28 अनुपस्थित। आवाजें दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 से 5, 7 से 10, 12, 14, से 17, 19 से 21, 26, से 28 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 29 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। विपक्षी संख्या 29 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के नाम पर एवं उनके मौरूस के नाम पर दर्ज है। प्रार्थनाग्रस्त आराजी के खातेदार दयालाल उदा पिता देवा का निधन होने से उस के वारिस विपक्षी संख्या 1 से 5 है। खातेदार चनदा रामा पिता चोखा का निधन होने से विपक्षी संख्या 9, 10 वारिस है। खातेदार रामा पिता दोला का निधन होने से विपक्षी संख्या 11, 12 वारिस है। खातेदार कना पिता देवा का निधन होने से विपक्षी संख्या 17 वारिस है। खातेदार हिरा पिता उंकार का निधन होने से विपक्षी संख्या 19, 20 वारिस है। खातेदार उदा पिता लखमा का निधन होन से विपक्षी संख्या 22, 23 वारिस है। खातेदार मोडा पिता दोला का निधन होने से विपक्षी 21 वारिस है। खातेदार धुला लाला पिता दोना का निधन होने से विपक्षी संख्या 24, 25 वारिस है। खातेदार भूरी पत्नी उदा का निधन होने से प्रार्थी संख्या 3 वारिस है। जिनको पक्षकार बनाया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थीगण अपने आराजी की चारों तरफ से तारबन्दी करवाना चाहते है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1, 6, 11, 13, 18, 22, 23, 24, 25 द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश कर पत्थरगढी किये जाने पर कोई अपत्ति नहीं जताई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थनाग्रस्त भूमि का पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेंगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

## —: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कुण्डई, पटवार हल्का कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 109 की आराजी न. 189, 191, 85, 86 किता 4 रकबा 11.1500 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया [illegible] कि, सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्[illegible] यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेक[illegible] जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा [illegible] से सं[illegible] नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो [illegible] यालय से [illegible] प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें [illegible] कब्जा प्राप्ति की [illegible] न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:53:42 IST
Reason: SelfAttested